

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 592 / 2025

मोहम्मद जहीर खान

—अपीलार्थी

## बनाम

1. निदेशक पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, झुंझुनू।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 18.03.2025

आदेश की दिनांक : 19.03.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री रविंद्र सिंह चंपावत, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- लेखराज तोसावडा, सदस्य  
असलम मेहर, सदस्य

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर उप केंद्र ककड़ेऊ कलां जिला झुंझुनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से उप केंद्र केरिया जिला जालौर में अमन कुमार के स्थान पर 450 किमी दूर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का नाम मोहम्मद जहीर खान है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश में बिना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए जहीर खान के नाम से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है (अनुलग्नक-9)। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में फार्मासिस्ट के पद पर उप जिला चिकित्सालय मलसिसर जिला झुंझुनू में कार्यरत है

(अनुलग्नक-6 से 8)। राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति अनुसार यदि पति-पत्नी राजकीय सेवा में है तो उन्हें एक ही स्थान पर या आस-पास निकटवर्ती स्थान पर स्थानांतरण करने का प्रावधान है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त नीति का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी को दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरण किया गया है जो अनुचित एवं विधि विरुद्ध है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी को स्थानांतरण के दौरान यात्रा-भत्ता एवं योगकाल भी नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाये जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को वर्तमान पशुधन सहायक के पद पर उप केंद्र ककड़ेऊ कलां जिला झुंझुनू में निरंतर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।
4. प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)  
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)  
सदस्य

